

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

10794-829

क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2017/

जयपुर, दिनांक 4.10.2017

अधिसूचना

जिला कलक्टरों प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिलों के 1290 ग्रामों को अधिसूचना क्रमांक 8424-44 दिनांक 1.8.2017 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। पाली जिले के पूर्व में अभावग्रस्त 621 ग्रामों में से संलग्न सूची अनुसार 112 ग्रामों को Denotify किया जाता है।

जिला कलक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2017 (संवत् 2074) में बाढ़ से खराबा होने की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 5 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 दिसम्बर, 2017 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	प्रस्तावित प्रभावित गांवों की संख्या
1.	पाली	509
2.	सिरोही	508
3.	जालौर	494
4.	बाड़मेर	231
5.	जोधपुर	4
	कुल योग:-	1746

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हेमन्त कुमार गेरा)

शासन सचिव